कार्यालय जिला पंचायत, चन्दौली।

पत्रांक– 150 /जि0पं0चं0/2021–22 दिनांक– 30-7-21

अतिअल्पकालीन निविदा सूचना:–

मा0 अध्यक्ष महोदय के स्वीकृति दिनांक–28.07.2021 के अनुपालन में तथा पंचायती राज अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या–सा0–7/2018/2851/33–2–2018–252जी/17, दिनांक–02.08.2018 में दी गयी व्यवस्था के अधीन जिला पंचायत, चन्दौली के गोवंशीय पशुओं को खिलाने हेतु निम्नलिखित सामग्रीयों को 31 मार्च, 2022 तक क्रय किये जाने हेतु कांजीहाउसवार पृथक–पृथक सामग्री की दरें प्रति कुन्तल/प्रति किलोग्राम में स्पष्ट आमंत्रित की जाती है। प्रत्येक निविदा के साथ जमानत धनराशि के रूप में मु0–5000.00 रू0 का बैंकड्राफ्ट जो "अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चन्दौली" के पदनाम से निर्गत हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदाएं दिनांक–10.08.2021 तक प्राप्त की जायेंगी। प्राप्त निविदाएं उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे निविदा समिति द्वारा निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित है। विस्तृत जानकारी व शर्तें कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। कांजी हाउस स्थल का नाम तथा सामग्री का विवरण निम्नलिखित है:–

क्र0 सं0	कांजी हाउस का नाम व स्थल	विकास खण्ड	पृथ–पृथक कांजी हाउस हेतु आपूर्ति के लिए निर्धारित सामग्री	दरें (रू0 में)
1	ग्राम सभा–सुल्तानपुर	शहाबगंज	1. भूसा व सूखी घास, 2. पुआल (पैरा), 3. हरा चारा (समयानुसार फसल पर आधारित बरसीम, मक्का, ज्वार, चरी, हरी घास, गन्ने का अगौला, हरी सब्जियों के अवशेष), 4. नमक (खडा), 5. खली	प्रति कुन्तल/प्रति किलोग्राम
2	ग्राम सभा–भीषमपुर	चकिया		
3	ग्राम सभा–नौगढ़	नौगढ़		

(शुमामा हुसैन)
कार्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चन्दौली।

(विजयानन्द तिवारी)
अभियन्ता,
जिला पंचायत, चन्दौली।

(कमलेश सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,चन्दौली।

पृष्ठांकन व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, चन्दौली।

2–मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चन्दौली।

3–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चन्दौली को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना एन0आई0सी0 के वेब–साईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

4–वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, चन्दौली।

5–प्रशासनिक अधिकारी/लेखाकार, जिला पंचायत, चन्दौली।

6–विज्ञापन व्यवस्थापक, हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र दैनिक जागरण को इस आशय से कि अपने समाचार–पत्र के अगले अंक में कम से कम फॉन्ट (7 फॉन्ट) में शासकीय दर पर कराते हुए बिल भुगतान हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,चन्दौली।